International Journal of Information Movement *Vol. 8 Issue III* *(July 2023)*
Website: www.ijim.in *ISSN: 2456-0553 (online)* **Pages** **56-59**

शिक्षा का अधिकार.औचित्य एवं क्रियान्वयन

कविता रानी,
शिक्षा विभाग,
एनआईआईएलएम विश्वविद्यालय, कैथल

1.0 सार :

शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा बालक के नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक बौद्धिक एवं आन्तरिक ज्ञान को बाहर लाने मे योग देने वाली एक अिया है। व्यक्ति के जीवन में शिक्षा एक ऐसा परिवर्तन लाती है, जिससे वह निरन्तर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो सकता है। शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। स्वामी विवेकानन्द के अनुसार : ''हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है, जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है।''

केन्द्र सरकार के आदेश पर सभी राज्यों में 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार, आरटीआई अधिनियम प्रभावशील हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा में काफी तफावत नजर आती है। शहरों में सुविधाओं का अम्बार लगाकर महंगी और खर्चीली शिक्षा बेची जा रही है तो गाव, दूरदराज इलाके तथा कस्बों में निचले स्तर पर टूटे–फुटे भवनों में तकलीफों और असुविधाओं के साथ स्कूलों का संचालन हो रहा है।
6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कहने में ही अच्छा लगता है, क्योंकि सरकार ने कानून जो बना दिया है। कानून बनाना सरल होता है उसका क्रियान्वयन और मूल्यांकन जब तक ईमानदारी से नहीं होगा तब तक ऐसे अधिकारों का कोई औचित्य नहीं है।

2.0 शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून :

(1) 6 से 14 वर्ष की उम्र के हर एक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। (2) सरकारी कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करायेंगे और स्कूल का प्रबंधन स्कूल प्रबन्ध समितियों एसएमसी द्वारा किया जाएगा। निजी स्कूल कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह हेतु न्यूनतम् 25 प्रतिशत बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे। (3) गुणवत्ता समेत प्रारम्भिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर निगरानी के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा।

3.0 शिक्षा का अधिकार 2009 की मुख्य विशेषताएं :

अधिनियम का इतिहास दिसम्बर 2002 अनुच्छेद 21 ए (भाग 3) के माध्यम से 86वें संशोधन विधेयक में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा में अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। अक्टूबर 2003 उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित कानून मसलन बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2003 का पहला मसौदा तैयार कर अक्टूबर 2003 में इस पर सुझाव मांगे गए।

2004 मसौदे पर प्राप्त सुझावों के मद्देनजर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2004 का संशोधित प्रारूप तैयार किया गया। जून 2005–केंद्रीय शिक्षा सलाहकार पार्षद समिति ने शिक्षा के अधिकार विधेयक का प्रारूप तैयार किया और उसे मानव संसाधन विकास मन्त्रालय को सौंपा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे नैक के पास भेजा, जिसकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गाँधी है। नैक ने इस विधेयक को प्रधानमंत्री के ध्यानार्थ भेजा। इस प्रकार 2006 में भी इस विषय पर भावी रणनीति की योजनाए बनाई गई।

4.0 विधेयक की महत्वपूर्णता :

(1) इसमें निःशुल्क अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का कानूनी प्रावधान है। (2) प्रत्येक इलाके से एक स्कूल का प्रावधान है। (3) इसके अन्तर्गत एक स्कूल निगरानी समिति के गठन का प्रावधान है, जो समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से स्कूल की कार्यप्रणाली की निगरानी करेगी। (4) 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के किसी भी बच्चे को बालश्रम के रूप में नहीं रखने का प्रावधान है।

उपरोक्त प्रावधान एक सामान्य स्कूल प्रणाली के विकास की नींव रखने की दिशा में प्रभावी कदम है। इससे सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सकेगी और इस प्रकार सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को अलग–थलग करने में रोक लग सकेगी।

5.0 भारत देश के लिये इस कानून की महत्ता :

इस कानून के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को पड़ौस के स्कूल में मुफ्त तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। इसके लिये कोई प्रत्यक्ष फीस स्कूल फीस तथा अप्रत्यक्ष मूल्य यूनिफार्म, पाठ्य पुस्तकें, मध्यान्ह भोजन, परिवहन नहीं लिया जाएगा। सरकार बच्चों को निःशुल्क स्कूलिंग उपलब्ध करवायेगी जब तक कि उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती। शिक्षा के अधिकार कानून में समुदाय तथा अभिभावकों की

5.1 भूमिका :

एक अनुमान के अनुसार 2009 में भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के ऐसे 80 लाख बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे। विश्व में भारत में बगैर 2015 तक हर एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी कराने के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। स्कूल, स्थानीय अधिकारी, माता–पिता, अभिभावकों और शिक्षकों को मिलाकर स्कूल प्रबंधन समितिया बनायेंगे। ये स्कूल के विकास के लिए योजनाएं बनायेगी और सरकार द्वारा दिये गये अनुदान का उपयोग करेगी और पूरे स्कूल के वातावरण को नियंत्रित करेगी।

आरटीआई में यह घोषित है कि एसएमसी के वंचित तबकों में से आने वाले बच्चों के माता–पिता और 50 प्रतिशत बालिकाएं होनी चाहिये, इस तरह के समुदायों की भागीदारी लड़किया और लड़कों के लिये अलग–अलग शौचालय सुविधाएं, स्वास्थ्य, जल स्वच्छता जैसे मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान के जरिये पूरे स्कूल के वातावरण को बाल मित्रवत् बनाने को सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण होगी।

सीखने के प्रभावकारी वातावरण हेतु प्राथमिक स्तर पर हर एक 60 बच्चों पर दो प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराये जायेंगे। शिक्षक नियमित, सही समय पर स्कूल आयेंगे, पाठ्यअम के निर्देशों को पूरा करेंगे, छात्रों में सीखने की क्षमता तथा कौशल

को बढ़ायेंगे। माता–पिता तथा शिक्षक के बची बैठकें होंगी। राज्य बच्चों को सीखाने हेतु शिक्षकों को पर्याप्त सहयोग सुनिश्चित करेगा। शिक्षक समुदाय और नागरिक समान के साथ निष्पक्ष तरीके से स्कूल की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनायेंगे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। हर एक बच्चे को आरटीआई को सुनिश्चित करने का वातावरण बनेगा।

केन्द्र और राज्य सरकारें आरटीआई के लिये वित्तीय जिम्मेदारियों को वहन करेंगी। केंद्रीय सरकार व्यय का अनुमान लगाएगी। राज्य सरकारे उन खर्चों को उपलब्ध करायेगी। यदि कोई वित्तीय कमी होगी तो उसे नागरिक समाज, विकास एजेंसियों, कॉरपोरेट –संस्थानों और देश के नागरिकों के समर्थन की आवश्यकता होगी। आरटीआई कानून आरक्षित तबकों के लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ बल श्रमिक, प्रवासी बच्चे, विशिष्ट जरूरत वाले बच्चों या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसे किसी अन्य विशिष्टता वाले सभी बच्चों को एक मंच पर उपलब्ध करता है। 10 लाख से अधिक नए और प्रशिक्षित शिक्षकों को अगले 5 साल के भीतर प्रशिक्षित करना, शिक्षकों की क्षमता में सुधार लाना निर्धारित है। भारत में अनुमानित 19 करोड़ लड़कियों और लड़कों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में परिवार और समुदायों की बड़ी भूमिका है। इससे निष्पक्षता से असमानता का उन्मूलन होकर शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। आरटीआई के उल्लंघन करने पर बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये गठित राज्य आयोग एससीपीसीआर या शिक्षा के अधिकार का संरक्षण प्राधिकरण आरईपीए को लिखित शिकायत कर सकते है। आरटीआई के उल्लंघन करने पर बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये गठित राज्य आयोग या शिक्षा के अधिकार का संरक्षण प्राधिकरण को लिखित शिकायत कर सकते है।

असमानताओं का दूर करने व गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त प्रयासों की जरूरत होगी। सरकार, नागरिक समाज, मिडिया प्रतिष्ठित लोगों से प्रासंगिक भागीदारी के साथ करने में यूनिसेफ निर्णायक भूमिका निभायेगा। जन जागरूकता को बढ़ाया जाएगा। नीति और कार्यक्रम निर्माण/क्रियान्वयन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का कार्य राज्य और राष्ट्र स्तर पर सुदृढ़ता से होगा।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय 2012–13 के लिए सर्वशिक्षा अभियान की 41 अरब 96 करोड़ 67 लाख की कार्ययोजना अनुमोदित की गई। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार शासकीय और अशासकीय शिक्षण संस्थानों के सभी शिक्षकों को आगामी दो वर्ष में प्रशिक्षित किया जायेगा। जिसके अंतर्गत इस वर्ष 1 लाख 37 हजार वंचित समूह के बच्चों को प्रवेश दिलाया गया है।

6.0 निष्कर्ष :

निजी क्षेत्रों के शिक्षण प्रणाली में ग्रामीण तथा जनजातिया क्षेत्रों के बच्चे कितने लाभान्वित होते है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। भारत विकासशील देश है। प्रतिपल गरीबी, भुखमरी तथा कुपोषणग्रस्त लोगों का प्रतिशत अधिक है। 38 प्रतिशत लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है। सबसे पहले भूखे पेट जब तक शांत नहीं होते तब तक शिक्षा की बातें कोरी साबित होती है। हमारा समाज अंधश्रद्धा, रूढ़ी, परम्पराओं से जकड़ा है। बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत निम्न है। उसका बचपन घर का काम तथा छोटे भाई बहनों की परवरिश में व्यतीत होता है। भगवान ने चोंच दी, दाना जरूर देगा इस तर्ज पर अधिक बच्चे पैदा कर उन्हें बचपन में ही दुकान, घर, ढाबे, कारखानो में काम पर लगा दिया जाता है, इन वर्गों की शिक्षा की स्थिति अत्यन्त दयनीय तथा गम्भीर है, जिसमें पिछड़े वर्ग, सड़कों पर गुजर–बसर करने वाले, कचरा उठाने वाले एवं बेघर बच्चों को शिक्षा का माहौल तथा अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण दायित्व है। शैक्षिक अवसरों की समानता हो

या शिक्षा का मूल अधिकार हो जब तक कानून का वास्तविक तथा प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होगा सम्पूर्ण, उत्कृष्ट शिक्षा का उद्देश्य साकार रूप नहीं हो सकता है।

7.0 संदर्भ :

1. दैनिक भास्कर, 9 अप्रैल 2010.
2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, नियम 2011.
3. राज एक्सप्रेस, 29 जून 2010.
4. उदीयमान भारत में शिक्षा– डॉ. गुरूशरण दत्त, 2009.
5. उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक – रामशुक्ल पाण्डेय, 2007.
6. अध्यापक शिक्षा, डॉ. आर.ए. शर्मा, 2007.
7. रोजगार और निर्माण 20.8.2012 से 26.08.2012.